

87/2021
5/5/2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खैराबाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 258, 411, 412 में प्रथम पक्षी-
दरज नाम नाथ गुरु गोदू लाल है। जबकि नाथ गुरु गोदू लाल के परिवार
में नाथ गुरु गोदू लाल का नाथ गुरु गोदू लाल है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 12/04/2021

प्रार्थी गोदू लाल शर्मा

(.....)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खैराबाद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075
से 2078 के खाता संख्या 258, 411, 412 में प्रार्थी का नाम नाथ गुरु गोदू लाल
दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन नाथ गुरु गोदू लाल व जानकारी के
अनुसार खातेदार का सही नाम नाथ गुरु गोदू लाल है जो संशोधित किया
जाना उचित है।
पिता गोदू लाल

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. गोदू लाल शर्मा

दिनेश कुमार शर्मा
पटवारी
पटवार मण्डल, खैराबाद
तहसील-हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी दिनेश कुमार शर्मा व भू.अ.नि. गोदू लाल शर्मा एवं प्रार्थी द्वारा
सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम खैराबाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078
की खाता संख्या 258, 411, 412 में प्रार्थी का नाम नाथ गुरु गोदू लाल
के बजाय नाथ गुरु गोदू लाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।
पिता गोदू लाल

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम खैराबाद जमाबन्दी संवत् 2075
खाता संख्या 258, 411, 412 में दर्ज प्रार्थी का नाम नाथ गुरु गोदू लाल के
स्थान पर नाथ गुरु गोदू लाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।
गोदू लाल

गोदू लाल शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)